

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

—: विविध आदेश :-

क्रमांक / क्यू / सांख्यिकीय अनु0 / 2020

टीकमगढ़, दिनांक :- 26 जून, 2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक 566/गोपनीय/2020/दो-2-1/2020 जबलपुर दिनांक 06.06.2020 द्वारा श्री लीलाधर सोलंकी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के पद पर पदस्थ किये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक 505/गोपनीय/2020/दो-3-1/2020 दिनांक 26.05.2020 के द्वारा श्री किशन देव सिंह पटेल, की पदस्थापना प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ओरछा के रिक्त पद पर किये जाने से, मैं राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यायिक जिला टीकमगढ़ के लिये पूर्व में जारी कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश क्रमांक 01/सांख्यिकीय अनु0/2020 दिनांक 02.01.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ :-

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1.	2.	3.	4.
<p>1. विविध आदेश के सरल क्रमांक 17 एवं 18 को पूर्ण विलोपित किया जाता है।</p> <p>2. विविध आदेश के सरल क्रमांक 13 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-</p>			
13.	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)	राजसव जिला टीकमगढ़	<p>1. वह सभी सिविल प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा व उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।</p> <p>2. थाना (1) बड़ागांव (2) बल्देवगढ़ (3) खरगापुर (4) मोहनगढ़ से उद्भूत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 (2) में दिये गये निर्देशों के अनुसार मोटरदुष्ट टिना दादा प्रकरण।</p> <p>3. आर्बीटेशन एक्ट प्रकरण।</p> <p>4. फैटल एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण।</p> <p>5. अन्य जिलों से अंतरण पर प्राप्त आज्ञापियां एवं अवार्ड।</p> <p>6. निम्नांकित न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के विरुद्ध व्यवहार अपील/विविध व्यवहार अपील :- (1) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, टीकमगढ़ (2) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, टीकमगढ़ (3) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़ के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश, टीकमगढ़ (4) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 टीकमगढ़ के न्यायालय के चतुर्थ अति. न्यायाधीश, टीकमगढ़ (5) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 टीकमगढ़ के न्यायालय के सप्तम अति. न्यायाधीश, टीकमगढ़ (5) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश, टीकमगढ़ (6) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़ (7) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, टीकमगढ़</p> <p>7. न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ एवं चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।</p> <p>8. न्यायालय पंचम अपर जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।</p>
<p>3. विविध आदेश में निम्नानुसार सरल क्रमांक 42 जोड़ा जाता है :-</p>			
42.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, ओरछा	माह जनवरी से दिसम्बर तक राजसव तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्याया0 की सीमा में आता है।	<p>1. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।</p> <p>2. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रु0 से 200/- रुपये तक है।</p> <p>3. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।</p> <p>4. उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।</p>

क्र०	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1.	2.	3.	4.
4. विविध आदेश के सरल क्रमांक 41 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-			
41.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा	माह जनवरी से दिसम्बर तक राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्यायाधीश की सीमा में आता है।	<ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 5,00,000/ (पाँच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/ (एक करोड़ रूपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण । 2. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/— रू० से 500/— रूपये तक है। 3. म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें । 4. भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र । 5. मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण 6. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 7. न्यायालय (1) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।


5. पृष्ठ क्रमांक 8 पर चार्ज प्रभार में सरल क्रमांक 48, 49 एवं 50 जोड़ा जाता है:-

स०क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1.	2.	3.	4.
48.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 टीकमगढ़	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, टीकमगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़
49.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 टीकमगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, टीकमगढ़
50.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ओरछा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, निवाड़ी

6. विविध आदेश के पृष्ठ क्रमांक 10 पर निम्नानुसार नोट क्रमांक 16 जोड़ा जाता है :-

16. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ न्यायालय रिक्त होने की स्थिति में उनके रिक्त न्यायालय से उद्भूत समस्त न्यायिक/विविध कार्य एवं माननीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों का परिपालन तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।


 (राजीव कुमार श्रीवास्तव)
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 टीकमगढ़ (म०प्र०)
 26.6.20

(1-45)

पृष्ठांकन क्रमांक/1445/सांख्यिकीय अनु०/2020/फा.नं.-45 टीकमगढ़, दिनांक :- 26 जून, 2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मान्नीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर (म०प्र०)
 2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर (म०प्र०)
 3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म०प्र०)
 4. कलेक्टर, टीकमगढ़ (म०प्र०)
 5. कलेक्टर, निवाड़ी (म०प्र०)
 6. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)
 7. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म०प्र०)
 8. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतारा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
 9. पीठासीन अधिकारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लिंक कोर्ट जतारा
 10. प्रथम/द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निवाड़ी (म०प्र०)
 11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 टीकमगढ़
 12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़
 13. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़ (म०प्र०)
 14. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जतारा जिला टीकमगढ़
 15. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 निवाड़ी (म०प्र०)/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 निवाड़ी (म०प्र०)
 16. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ओरछा (म०प्र०)
 17. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा
 18. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/सप्तम/अष्टम अति० न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)
 19. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जतारा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
 20. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 निवाड़ी/ओरछा (म०प्र०)
 21. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ (म०प्र०)
 22. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म०प्र०)
 23. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा/ओरछा/निवाड़ी (म०प्र०)
 24. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
 25. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय टीकमगढ़ (म०प्र०)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म०प्र०)